Shree Shikshan Sansthan

Reg No. : 03BSW/2015-2016
H.O.: Ssess Amit Towar, Sector 5, Sanganer,
Pratap Nagar, Jaipur,Rajasthan 302033

**Ref No:** SSESS/HR/2026/15 **Date :** March 20, 2026

# कार्यालय आदेश एवं सूचना

**विषय :** मानदेय भुगतान प्रक्रिया, कार्य की शर्तों और अनुशासन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

**प्रिय ट्रेनर्स / स्वयंसेवक,**

संस्थान के सुचारू संचालन और पारदर्शिता को बनाए रखने हेतु आप सभी को निम्नलिखित विधिक एवं प्रशासनिक तथ्यों से अवगत कराया जाता है:

1. **संस्थान की वित्तीय प्रकृति:** श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो पूर्णतः जन-दान, भामाशाह अनुदान और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड पर आधारित है। चूंकि यह फंड सरकारी और निजी संस्थाओं की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, अतः संस्थान को प्राप्त होने वाले अनुदान में अक्सर **12 से 15 माह** तक का विलंब होना संभव है।
2. **भुगतान का आश्वासन:** संस्थान प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता को आश्वस्त करता है कि आपके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान **उपस्थिति और संस्थान के नियमों** के अनुसार निश्चित रूप से किया जाएगा। संस्थान किसी भी वैध मानदेय को रोकने का मंतव्य नहीं रखता, किंतु अनुदान प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण भुगतान में देरी होना स्वाभाविक है।
3. **कार्य की निरंतरता और सहमति:** संस्थान उन सभी व्यक्तियों का स्वागत करता है जो उपरोक्त वित्तीय परिस्थितियों को समझते हुए संस्थान के सामाजिक लक्ष्यों में सहयोग करने हेतु सहमत हैं। यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों के साथ कार्य करने में असमर्थ है, तो वह संस्थान से **कार्यमुक्त (Resign)** होने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है।
4. **कार्यमुक्ति एवं बकाया भुगतान:** जो भी ट्रेनर संस्थान छोड़ना चाहते हैं, उनके अंतिम कार्यदिवस से **45 से 60 दिनों के भीतर** संस्थान उनके समस्त वैध बकाये का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रतिबद्ध है।
5. **विधिक बाध्यता एवं अनुशासन:** संस्थान अपनी वित्तीय स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से आप सभी के साथ साझा कर रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि संस्थान छोड़ने से पूर्व नियमानुसार प्रबंधन से संपर्क करें। यदि कोई व्यक्ति संस्थान को पूर्व सूचित किए बिना या चर्चा किए बिना किसी भी प्रकार की नकारात्मक कार्यवाही, भ्रामक प्रचार या अनुचित कदम उठाता है, तो उसके लिए वह **स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार** होगा।
6. **संस्थान का विधिक अधिकार:** स्थिति स्पष्ट करने के उपरांत भी यदि संस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, तो संस्थान संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उचित विधिक (Legal) कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
7. **संस्थान द्वारा निष्कासन :** संस्थान अपने अधीनस्थ स्वयंसेवी , ट्रेनर्स को बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी कार्यमुक्त कर सकती है |
8. **प्रोजेक्ट की समय सीमा :** संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट का संचालन उपलब्ध होने वाले फंड पर निर्भर करता है , फंड उपलब्ध न होने की स्थिति मे संस्थान उक्त प्रोजेक्ट को काभी भी बंद भी कर सकता है जिस हेतु संस्थान स्वतंत्र है |

**नोट:** इस सूचना को प्राप्त करने के पश्चात संस्थान के साथ कार्य जारी रखने का अर्थ यह माना जाएगा कि आप उपरोक्त सभी शर्तों से पूर्णतः सहमत हैं।

**भवदीय,**

mahesh chanpota

SEVA SANSTHAN 03 BSW 2015-16 SHREE SHIKSHAN

**State Project Manager (HR&T)**

**Shree Shikshan Evam Seva Sansthan**

**Jaipur, Rajasthan**